फर्द अहकाम

रामनिवास वगै० बनाम कजोड़मल वगै०

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या : 62/2023 धारा - 53,188 RTA.

क्र0 सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि0वि0
	7/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी ने प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन कर, प्रकरण को कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री किए जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। वास्ते आदेशार्थ व निर्णय पत्रावली अद्य दिनांक 14/2/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	
	14/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं अतः दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। फैसला अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। फैसला शामिल पत्रावली हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व दर्ज नंबर से कमती हो। [हस्ताक्षर] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :— श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.

वाद संख्या :— 62/2023

उनवान

1. रामनिवास पुत्र रूडाराम
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र रूडाराम
3. मोहनलाल पुत्र रूडाराम
4. प्रभाती देवी पत्नि रूडाराम
5. बिमला देवी पुत्र रूडाराम
6. सुमित्रा देवी पुत्री रूडाराम

समस्त जातियान यादव अहीर, निवासी बिशनगढ़, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

— वादीगण

बनाम

1. कजोडमल पुत्र दीपाराम
2. जगदीश पुत्र दीपाराम
3. बालूराम पुत्र पन्नाराम
4. कमली पत्नि अमीचन्द
5. भोलाराम पुत्र सोनाराम
6. महावीर पुत्र सोनाराम
7. मलीराम पुत्र सोनाराम
8. मोहित पुत्र अमीचन्द
9. रिंकू पुत्र अमीचन्द
10. कोयली पत्नि मदन
11. राकेश कुमार पुत्र मदन
12. राजेश पुत्र मदन

समस्त जाति यादव अहीर, निवासी बिशनगढ़, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

13. राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
14. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया–शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
15. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल परिवर्तित नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मनोहरपुर, जिला जयपुर राज0।
16. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

17. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा अचरोल, जिला जयपुर राज0।

– प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट – 1955</u>

निर्णय दिनांक :– 14/2/2024

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या 18 के खसरा नंबर 2336/2.25 है0 किता 1 रकबा 2.25 है0 तथा हाल आराजी खाता संख्या 298 के खसरा नंबर 2341/1.04 है0 किता 1 रकबा 1.04 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ़, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार है। वादीगण ने खसरा नंबर 2336 में अपने हिस्से पर मकान व पशुओं के रहवास हेतु बाडा वगै0 बनाकर पुख्ता तामीरात काबिज है तथा अन्य सभी खातेदार अपने अपने हिस्से अपने पर काबिज होकर काश्त करते आये है तथा पुख़्ता तामीरात कर काबिज एवं आबाद रहकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वाद पत्र में वर्णित आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर आपस की सहमति से बाहमी बंटवारा कर रखा है और वादीगण अपने हिस्से भूमि का बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है जिसके चलते वादीगण के काबिज काश्त में मजाहमत पैदा करते है जिस कारण शामलाती में काश्त करना संभव नहीं रहा है। दिनांक 07.02.2023 को वादीगण प्रतिवादीगण के पास गये तथा सहमति से बंटवारा करवाकर नंबर अलग अलग करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण वादीगण के साथ आमादा फिसाद हो गया तथा आसपास के लोग एकत्रित हो गये जिन्होंने काफी समझाईश की लेकिन कानूनी बंटवारा हेतु साफ तोर पर इंकार हो गया तथा एलानियां धमकी दी कि हम उक्त आराजी का किसी भी कीमत पर कानूनी बंटवारा नहीं होने देंगे तथा वादीगण के कब्जे काश्त में भी मजाहमत पैदा करेंगे इस कारण वादीगण को अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान् के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सूबों में किसी कदर कामयाब हो गया तथा वादीगण को काश्त व उपयोग उपभोग नहीं करने दिया या माजहमद पैदा कर दिया या वादीगण को बेदखल कर दिया तो वादीगण को नाकाबिले तलाफी होगी तथा वादीगण के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा वादीगण को अपनी आराजी से महरूम होना पड़ेगा तथा वादीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में धनराशि के रूप में संभव नहीं हो सकेगी तथा पक्षकारों में परस्पर मुकदमें बाजी बढ़ेगी।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 18 के खसरा नंबर 2336/2.25 है0 किता 1 रकबा 2.25 है0 तथा हाल आराजी खाता संख्या 298 के आराजी खसरा नंबर 2341/1.04 है0 किता 1 रकबा 1.04 है0 वाकै ग्राम बिशनगढ़, तहसील शाहपुरा, जिला

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

जयपुर के राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सेनुसार व बाहमी बंटवारा के अनुसार आराजी मुतनाजा का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व नियमों के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये मौके पर कब्जे काश्त के आधार र कानूनी बंटवारा किया जावे तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा पृथक-पृथक राजस्व लगान निर्धारित किये जाने की आज्ञा प्रदार करे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र में वर्णित आराजी मुतनाजा में से वादीगण के हिस्से में आई भूमि के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत न तो वे स्वयं करे न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट स्थानापन्न अथवा उत्तराधिकारियों से करावे जबकि वादी को शांति पूर्वक काबिज एवं आबाद रहकर काश्त एवं उपयोग उपभोग करने देवे पाबन्द फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत सम्मन जारी किये गये। वकील वादी ने तामील का ट्रेकिंग रिकॉर्ड पेश किया । प्रतिवादीगण बावजूद तामील के होने के उपरांत उपस्थित नहीं आये। अतः दिनांक 22.09.2023 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर आया कि प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामिल कोई उपस्थित नहीं है। अतः दिनांक 22.09.2023 को प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को बंटवारा रिपोर्ट भिजवाने बाबत् आदेशित किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार, तहसील शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/412 दिनांक 29.01.024 के द्वारा प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। तहसीलदार, तहसील शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाना उचित है। वकील वादी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व प्राप्त बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट सही प्रतीत होती है । अतः दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बिशनगढ़ पटवार हल्का बिशनगढ़, तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 2336 रकबा 2.25 है0 तथा 2341 रकबा 1.04 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 3.29 है0 भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :-

1. मोहनलाल, राजेन्द्रसिंह, रामनिवास हि0 सम्पूर्ण जाति अहीर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2336/1 रकबा 0.3958 है0 भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार , आर. ए. एस.
वाद संख्या :– 62 / 2023

उनवान

1. रामनिवास पुत्र रूडाराम
2. राजेन्द्र सिंह पुत्र रूडाराम
3. मोहनलाल पुत्र रूडाराम
4. प्रभाती देवी पत्नि रूडाराम
5. बिमला देवी पुत्र रूडाराम
6. सुमित्रा देवी पुत्री रूडाराम

समस्त जातियान यादव अहीर, निवासी बिशनगढ़, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

– वादीगण

बनाम

1. कजोडमल पुत्र दीपाराम
2. जगदीश पुत्र दीपाराम
3. बालूराम पुत्र पन्नाराम
4. कमली पत्नि अमीचन्द
5. भोलाराम पुत्र सोनाराम
6. महावीर पुत्र सोनाराम
7. मलीराम पुत्र सोनाराम
8. मोहित पुत्र अमीचन्द
9. रिंकू पुत्र अमीचन्द
10. कोयली पत्नि मदन
11. राकेश कुमार पुत्र मदन
12. राजेश पुत्र मदन

समस्त जाति यादव अहीर, निवासी बिशनगढ़, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

13. राजस्थान सरकार भू–धारक जरिये तहसीलदार, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
14. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया–शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
15. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल परिवर्तित नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मनोहरपुर, जिला जयपुर राज0।
16. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा–शाहपुरा, जिला जयपुर राज0।
17. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा अचरोल, जिला जयपुर राज0।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट – 1955

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

निर्णय दिनांक :– 14/2/2024

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीगण का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बिशनगढ़ पटवार हल्का बिशनगढ़, तहसील शाहपुरा के आराजी खसरा नम्बर 2336 रकबा 2.25 है० तथा 2341 रकबा 1.04 है० कुल किता 02 कुल रकबा 3.29 है० भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है :–

1. मोहनलाल, राजेन्द्रसिंह, रामनिवास हि० सम्पूर्ण जाति अहीर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2336/1 रकबा 0.3958 है० भूमि रहेगी।
2. कजोड़ पुत्र दीपाराम हि० 6/89, जगदीश पुत्र दीपाराम हि० 44/89 राहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा मनोहरपुर, बालूराम पुत्र पन्ना हि० 12/89, मदन पुत्र पन्ना हि० 27/89 राहिन एस.बी.बी.जे. बैंक मनोहरपुर जाति अहीर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2336/2 रकबा 0.36 है० , 2336/3 रकबा 1.4942 है० कुल किता 02 कुल रकबा 1.8542 है० भूमि रहेगी।
3. प्रभाती देवी पत्नी रूड़ाराम हि० सम्पूर्ण जाति अहीर के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2341/1 रकबा 0.52 है० भूमि रहेगी।
4. कमली पत्नी अमीचन्द हि० 1/21 राहिन राहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाहपुरा, भोलाराम, महावीर, मालीराम पुत्रगण सोनाराम हि० 3/7 राहिन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड शाखा अचरोल, मोहित पुत्र अमीचन्द हि० 1/21, राकेश कुमार यादव पुत्र मदनलाल हि० 3/7, रिंकू पुत्र अमीचन्द हि० 1/21 जाति अहीर सा० देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 2341/2 रकबा 0.52 है० भूमि रहेगी।

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं संलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीन करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 14/2/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा (जिला-जयपुर) ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ____ रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.